समाचार प्रकाषनार्थ रू.

स्वच्छता और पवित्रता ही वर्तमान की प्राथमिकता है

धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के अवसर पर झोन क्रमांक .1 व 3 के स्वच्छता प्रेमियों का सम्मान किया गया। नगर निगम आयुक्त ने कचरे को अलग अलग इस्टबिन में एकत्र करने वाले व्यापारी बंधुओं का आभार मानाएवाई के रहवासियों को स्वच्छता एप से भी अवगत कराया

रतलाम 04 दिसम्बर । कोई एक व्यक्ति पूरे शहर को साफ नहीं कर सकता है इसलिए हम सबको मिलकर ही अपने आस पास की सफाई करनी होगी। हमें चाहिए कि शहरवासी विशेषकर व्यापारी बंधु खुले में कुड़ा करकट न फेंके। नगर निगम ने भी जगह जगह पर कुड़ेदान लगवाए कै ताकि लोग सडक़ पर कूड़ा न फेंके और घरों और दुकानों का गीला व सूखा कचरा संग्रहण वाहन में ही डाले। ऐसा खुद भी करे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे।

उक्त विचार नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने व्यक्त किए। स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 के परीणामों के बाद संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के निर्देश पर आयोजित धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत शनिवार को शहर के चारों झोन अनेक वार्डो में स्थित दुकानों पर जाकर उन व्यापारी बंधुओं का सम्मान किया गया जो अपने दुकान प्रतिष्ठानों का कचरा अलग अलग डस्टिबनों में एकत्र कर इसका निपटान कचरा संग्रहण वाहन के अलग अलग खानों में ही करते है। इस अवसर पर निगमकर्मियों और सफाई मित्र समूह की टीम ने व्यापारियों का स्वागत तिलक लगाकर किया गया। इसके बाद इन्हे फुलमालाओं के साथ मिठाई व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिन दुकानों में कचरे का सही निपटान और स्वच्छता को महत्व दिया जा रहा हैए वहां स्वच्छता का संदेश देने वाली आकर्षक रांगोली का निर्माण भी किया गया।

धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत लोगों को जागरक करने के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में आए बेहतर परिणामों के लिए सफाई मित्रए नागरिकोंए व्यापारी बंधुओंए विभिन्न संस्थाओं के साथ ही स्वच्छागृहीगणों आदि का सम्मान किया जाना है। इसी कड़ी में आज स्वच्छता में सहयोग करने वाले व्यापारियों का

सम्मान उनके प्रतिष्ठानों पर पहुंच कर किया गया। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए जाने का आव्हान भी किया गया।। सफाई मित्र समूह द्वारा कचरामुक्त स्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर आकर्षक रांगोलियों का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया गया।

कार्यक्रमों के दौरान आयुक्त श्री झारिया ने कहां यह शहर मातृभूमि है। इसलिए इसे साफ सुथरा रखना हर किसी का दायित्व है। कुछ प्रतिशत व्यापारी ऐसे भी है जो अपने दुकानों से निकले कचरे का निपटान सडक़ पर दुकान के पायदान के नीचे बनी नालियों में करते आ रहे हैए जो कानूनन रुप से भी अपराध की श्रेणी में आता है। इस कचरे से नालियां जाम होती है और इसके कारण बरसात के दिनों में पूरे शहर को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

उन्होने कहां कि आज विचारणीय प्रश्न है कि शहरवासी साफ सफाई के मामले में भी पिछड़े हुए क्यों हैं हि बल्कि हम उस समृद्धि और गौरवशाली भारतीय संस्कृति के अनुयाई है इसका मुख्य उद्देश्य सदा एपवित्रता' और एशुद्धि' रहा हैए यह सही है कि चरित्र की शुद्धि और पवित्रता बहुत आवश्यक हैए लेकिन बाहर की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है।

श्री झारिया ने कहां कि स्वच्छ परिवेश का प्रतिकूल प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता हैए उसी प्रकार एक स्वच्छ और सुंदर व्यक्तित्व का विकास भी स्वच्छ और पवित्र परिवेश में ही संभव है। अतः अंतकरण की शक्ति का मार्ग बाहरी जगत की शुद्धि और स्वच्छता से होकर ही गुजरता है।

श्री झारिया ने नागरिकों से आव्हान किया है कि घर और दुकानों से निकले कचरे का निपटान कचरा संग्रहण वाहन के अलग अलग हिस्सों में ही करे। स्वच्छता के प्रति नागरिकों की जागरुकता जरुरी है तभी हम अपने शहर को देश में स्वच्छता के मामले में नम्बर वना पाएगेए इसी के साथ वैक्सीनेशन के मामले में भी शत प्रतिशत टीके लगवा कर रतलाम का गौरव बढ़ाए। कोविड 19 की संभावित तीसरी लहर की आहट को देखते हुए सभी माँस्क का उपयोग करेए भीड़ से बचे और दो गज की दूरी बनाते हुए हाथों को सैनेटाईज करना नहीं भूले।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोंलकीए स्वास्थ्य अधिकारी श्री जीण्केण जायसवालए झोन प्रभारी सर्वश्री एण्पीण्सिंहए किरण चौहानए पर्वत हाड़ेए विनय चौहानएविराट मेहराए मोनिका चौहानए सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

5826 पेंषन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन पेंषन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 04 दिसम्बर । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पंषनए राश्ट्रीय विधवा पंषनए राश्ट्रीय निःषक्त पंषनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पंषनए विधवा पंषनए निःषक्त पंषनए मानसिक बहुविकलांग पंषन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का षासन निर्देषानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 04 दिसम्बर षनिवार तक 5826 पंेषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 58 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पंषन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे नगर निगम के आईटी सेल में आवष्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

खुले में गंदगी करने पर 9 व्यक्तियों पर जुर्माना मास्क नहीं लगाने पर 11 व्यक्तियों पर जुर्माना गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 04 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 4 दिसम्बर को 9 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार खुले में गंदगी करने पर ईष्वरलालए विरेन्द्र सैलाना बस स्टैण्डए स्वपनिल सोनी चौमुखी पुलए एजाजए भैरूलाल त्रिपोलिया गेटए रमेषए निलेष बाजना बस स्टैण्ड पर 100.100ए पाटीदारजी पावर हाउस रोड व निखलेष त्रिपोलिया गेट पर 50.50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी।

इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 11 व्यक्तियों पर 100.100 रूपये का स्पाँट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईष दी गई। नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री एण्पीण सिंह मोण नंण 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मोण नंण 7471144931ए श्री किरण चौहान मोण्नंण 7471144932ए श्री विनय चौहान मोण्नंण 8770535145ए श्री विराट मेहरा 9770326691ए स्पाँट फाईन दल के पवन झांझोट मोण्नंण 7000128812ए आकाष षिन्दे मोण्नंण 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मोण्नंण 6268449110ए राकेष ललावत मोण्नंण 7000128812 को देकर नगर को साफ स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

04 दिसम्बर को 68 टन से ज्यादा कचरा जुलवानिया पंह्चा

रतलाम 04 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर घर से पृथक प्रकतित किया जा रहे गीले सूखे कचरे व सड़को व नाले नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे विंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 04 दिसम्बर षनिवार को 68 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टे चिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

04 दिसम्बर षिनवार को डम्पर से 14780ए टे क्टर से 14935ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 21190 व काम्पेक्टर गीला कचरा 17885 किलो इस तरह कुल 68790 किलो कचरा जुलवानिया टे चिंग ग्राउण्ड पंह्चाया गया।

2285 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 78 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 04 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2190 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000% तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 95 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000% ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 75 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 75 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है। पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 04 दिसम्बर । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमित के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हें तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलों के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमित निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये। नगर निगम द्वारा बिना अनुमित के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमित के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 04 दिसम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 04 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को

निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 04 दिसम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले.नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डी की समुचित साफ सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डी में साफ सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संणविण्ध्हेमन्तध्०४ण१२ण२०२१ध्नणपाणनिगमए रतलामण